



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 255 - कांविंगी० एवं वे०प्र०-२९/पाकालि/२४-७-काविंगी० एवं वे०प्र०/१७

दिनांक 15 मार्च, 2024

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-। एवं ॥),

समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,

समस्त अधीक्षण अभियंता,

समस्त उप महाप्रबन्धक,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिं०।

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों, जो दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे हैं, को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई दर पर महँगाई भत्ते का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 1280-कांविंगी० एवं वे०प्र०-२९/पाकालि/२३-७-काविंगी० एवं वे०प्र०/१७ दिनांक 17.11.2023 के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमानों में कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर महँगाई भत्ता अनुमन्य होगा :-

तिथि जब से देय है	महँगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2024	मूल वेतन का 50 प्रतिशत

उपरोक्त बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में निम्न प्रमुख बिन्दु निर्धारित किये गये हैं :-

- इस आदेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- महँगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-९(२१) के अन्तर्गत 'वेतन' नहीं माना जायेगा।
- इस आदेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ता उन कर्मचारियों पर भी प्रभावी होगा, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
- इस आदेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- इस आदेश द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2024 से देय धनराशि का भुगतान मार्च माह के नियमित वेतन के साथ नकद किया जायेगा।
- इस आदेश द्वारा स्वीकृत दरों पर महँगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते/अंशदारी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कठौती करते हुए कारपोरेशन के

(क्रमांक: 2)

कार्यालय ज्ञाप सं 1226-पै0एवंआर0-28/पाकालि/23-07-पै0एवंआर0/2023 दिनांक 20.07.2023 में निर्धारित सीमा के अधीन जमा की जायेगी। इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि खाते/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि दिनांक 01 मार्च, 2025 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर, जिनमें भविष्य निधि नियमों/अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी, सामान्य भविष्य निधि खाते/अंशदायी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, तो उक्त अवशेष धनराशि उसके पब्लिक प्रोविडेन्ट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा करायी जायेगी अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में प्रदान की जायेगी। परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, तो उसे नकद दी जायेगी।

7. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2024 से आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा अगले 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महँगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महँगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबन्धक (लेखा) द्वारा प्राधिकार-पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्यक्ष

सं0-255-(I)-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/केरल, कानपुर।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा०का०लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ) उ0प्र0 पा०का०लि0, लखनऊ।
13. अनु सचिव (स0प्र0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. अभिरक्षण पत्रावली।

15.03.24
(सैयद आरिफ हैदर)
उप सचिव (का०वि०नी०)